

# ORDER - SHEET

JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

Case No. 67/1 of 20

Signature of  
Parties of  
pleaders where  
Necessary

Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer

Date of  
Order of  
Proceeding

आज आरक्षी केन्द्र 2018 के उपनिरीक्षक सहायक  
उपनिरीक्षक/प्रधान आरक्षक/आरक्षक 2/वा 7 की अपराध  
क0 1123 द्वारा थाना प्रमारी की ओर से  
क0 36/17 अंतर्गत धारा 405 सरख सिट  
भा0द0स0 अधिनियम के अधीन दण्डनीय  
अपराध के संबंध में अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध  
पत्र/परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 श्री 2018 उप0

अभियुक्त/अभियुक्तगण राजकुमार 510

किं 2018 निवासी/निवासीगण 07 2018

थाना 2018 जिला 1205 राज्य और से अधिवक्ता

उपरिधत्त। अभियुक्त/अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता

श्री प्रवीण 7400 टवा 0 द्वारा मेमोरेण्डम/वकालतनामा प्रस्तुत

किया।

अभियोग पत्र/परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया

है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र/परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया

अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार

भा0द0स0/ अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के

आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा

190-(1) द0प्र0स0 के अधीन संज्ञान लिये जाने का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आपराधिक पंजी 67/17 में दर्ज

किया जावे।

अभियुक्त/अभियुक्तगण द0प्र0स0 की धारा 207 के अधीन प्रावधानों

के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों की पठनीय प्रति निःशुल्क दिलायी

जाये।

चूंकि अपराध जमानती प्रकृति का है। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण

की ओर से 7000/- (सात हजार रुपये) की प्रतिभूति व इतनी ही राशि

का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किया जाये तो अभियुक्त को अभिरक्षा से मुक्त

किया जाये।

रामकुमार



चूँकि मामला संक्षिप्त विचारणीय है। अतः संक्षेप्त विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त / अभियुक्तागण के विरुद्ध धारा 106-670 भा0द0स0 / अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त / अभियुक्तागण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति 1700 रु०/- रुपये राजसात किये जायें। संपत्ति 2700 पंजी मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त / अभियुक्तागण ने अर्थदण्ड की राशि 1000/- रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क्र० 6896 रसीद 86 में जारी हुई।

अभियुक्त / अभियुक्तागण को राजा भगताई मई।

प्रकरण उपरीक्त निर्देश अनुसार संचित हो।

Judicial Magistrate (P.S.)  
Gohad Dist. Bhawal (M.P.)

संज्ञा